न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या एलआर/49/2014

उनवान

1. रमेश चन्द्र पुत्र भॅवर लाल शर्मा निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. जानकी लाल पुत्र जगन्नाथ धाकड निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. मांगीलाल पुत्र गुलाब धाकड निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. भूमिधारी तहसील बिजौलिया जरिये तहसीलदार, बिजौलिया जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण
संख्या 20/2013 निर्णय एवं दिनांक 30.10.2013
एवं संशोधन आदेश दिनांक 24.12.2013

अधिवक्तागण :—

1. श्री गणेश लाल जोशी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री राकेश चौहान ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1,2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 6.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 2/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम जावदा तहसील बिजौलिया के जागरूक निवासी है ग्राम जावदा में 100 घरों की बस्ती होकर वहॉ की वन सम्पदा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की सुरक्षा और ग्राम्य वन विकसित करने के उद्धेश्य से क्षेत्रिय वन अधिकारी माण्डलगढ तथा उप वन संरक्षक भीलवाडा के सहयोग से नियमानुसार ग्राम्य वन खण्ड तीखी, नर्सिंग माताजी की धार एवं मोडा माताजी व उबेडा नामी स्थान पर ग्राम्य वन सुरक्षा समिति का गठन दिनांक 22.8.1990 को वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया । संलग्न साईट प्लान के अनुसार ग्राम वन फोरेस्ट तीखी के नाम से आरक्षित करीब 139 हैक्टैयर भूमि सुरक्षित की गई। उक्त भूमि को सभी ग्रामवासियान ने जरिये श्रमदान पत्थर की दिवार चुनकर ग्राम वन के रूप में आरक्षित की । उक्त ग्राम वन सन् 1990 से आज तक ग्रामवासियान के आधिपत्य में चला आ रहा है। जिससे सघन वन विकसित होकर ग्राम जावदा के मवेशी चरते हैं और सुखी लकडी ग्रामवासियान प्राप्त करते है। जिसे करीब 23 वर्ष हो चुके है। उक्त सम्पूर्ण गांव में कोई कृषि भूमि नहीं है तथा पत्थरीली व वन सम्पदा से भरपूर है कृषि कार्य किया जाना संभव नहीं है। किसी व्यक्ति का कब्जा खातेदार अथवा गैर खातेदार के रूप में नहीं है। विपक्षी संख्या 1 ने गलत तथ्य प्रकट कर तथा अधूरी रिपोर्ट पटवारी हल्का से करवा कर ग्राम मानपुरा पटवार मण्डल थडोदा की कृषि अयोग्य भूमि आराजी नम्बर 52 रकबा 5 बीघा रकबे का आवंटन दिनांक 10.1.1985 को अपने नाम करवा लिया। आवंटित भूमि आराजी भू भाग ग्राम वन तीखी रेंज के अन्तर्गत आने वाली भूमि है। जिसमें कोट लगी होकर वन सम्पना विकसित है। विपक्षी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। आवंटित भूमि पर कभी कृषि कार्य नहीं नहीं किया गया। आंवंटन से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं की गई। उक्त आवंटन के आधार पर आवंटी ने राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर खसरा नम्बर 661/52 रकबा 5 बीघा व आराजी नम्बर 712/52 रकबा 5 बीघा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10 बीघा भूमि को अपने नाम पर गैर खातेदारी हक से जमाबंदी संवत 2066–69 में दर्ज रेकार्ड करवा रखी है। इस प्रकार आवंटी कोदिनांक 10.1.1985 को 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ । आवंटी ने आवंटन से अधिक भूमि दर्ज करवा कर मिथ्या कथन कर रेकार्ड का गठन किया । वर्तमान में आवंटन सुदा भूमि गैर खातेदारी हक से अभिलिखित है। आवंटी ने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की पात्रता हासिल नहीं की है। आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। दिनांक 3.7.2013 को जब विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीगण व ग्रामवासियान से विवाद कर आवंटित भूमि पर कब्जा करना चाहा तब जाकर आवंटन के बारे में जानकारी हुई। अतः ग्राम मानपुरा तहसील बिजौलिया के आराजी नम्बर 662/52 व 712/52 का कुल रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करा सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज कराई जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2013 को स्वीकार किया । उसके उपरान्त तहसीलदार बिजौलिया के पत्रांक राजस्व/2013/868 दिनांक 13.12.2013 में यह उल्लेख किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक 30.10.2013 को जो निर्णय पारित किया गया है उसमें आराजी खसरा नम्बर 662/62 गलत अंकन हो गया है जबकि सही खसरा नम्बर 661/52 है। इस पर दिनांक 24.12.2013 को आदेश पारित कर खसरा नम्बर 662/52 के स्थान पर 661/52 संशोधन किया गया । उक्त दोनों आदेशों से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के तहत प्रार्थना पत्र तभी पोषणीय होता है जबकि आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो या आवंटन छल कपट पूर्वक, मिथ्या दुर्व्यपदेशन कर कराया हो। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं माना है। आवंटन से पूर्व पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई। आवंटी ने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। पूर्ण जांच के उपरान्त वादग्रस्त आराजी का आवंटन अपीलार्थी के पक्ष में किया गया था। डिजिटल फोटोग्राफ के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी की हकाई होना भी माना है। उसके बावजूद अपीलाधी आदेश से अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिलानाम दर्ज करने का जो निर्देश दिया है वह विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 52 कभी वन सम्पदा अथवा वन विभाग के नाम पर नहीं रही है । उक्त आराजियात बिलानाम सरकार दर्ज होने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजियात का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार की सहमति एवं स्वीकृति के आधार पर किया गया था। उक्त आवंटन दिनांक 10.1.1985 को किया गया जिसे लगभग 28 वर्ष हो गये हैं। आवंटित भूमि पर आवंटि को 3 वर्ष में ही खातेदारी अधिकार स्वतः प्राप्त हो

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाते है। इतनी लम्बी अवधि गुजरने से अपीलार्थी को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने की दशा में आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1व 2 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं थी न ही वे उक्त आवंटन से असंतुष्ट हो सकते हैं। क्योंकि जो ग्राम में वन खण्ड तीखी, नृसिंह माताजी की धार, एवं मोडी माताजी व उबेडा नामी स्थान पर ग्राम्य वन सुरक्षा समिति के गठन दिनांक 22.8. 1990 को आधार बना यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि उक्त सुरक्षा समिति के गठन के 5 वर्ष पूर्व ही उक्त आवंटन अपीलार्थी के पक्ष में किया जा चुका था। अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम्य वन सुरक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का विधिवत गठन नहीं किया जाकर धाकड समाज के कुछ व्यक्तियों का एक अवैध गिरोह है जो येन केन प्रकारेण धाकड समाज के अतिरिक्त अन्य समुदाय के व्यक्तियों की भूमियों को हडप कर अवैध खनिज कार्य करना चाहते हैं अथवा उस पर कब्जा करना चाहते है। उक्त आवंटन से वन विभाग को कोई एतराज नहीं है स्वयं भूमिधारी तहसीदार ने उक्त आवंटन बाबत सहमति दी थी तब जाकर अपीलाण्ट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन हुआ था। तथाकथित मौका पर्चा की फोटो प्रति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसमें तहसीलदार ने 3 वर्ष पूर्व ट्रेक्टर ट्रोली निकलना बताया है और उसके हल के निशान 3 वर्ष उपरान्त विद्यमान होना स्वयं मौका निरीक्षणकर्ता ने माना है। उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट ग्रामवासियान के सार्वजनिक विरोध को देखते हुए गलत तौर पर बनाई गई है। तीन साल बाद हंकाई के निशान नही रहते है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दखल चला आ रहा है। जिसके बाबत जिन्स गिरदावरी पेश हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

7. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व का कथन है कि वादग्रस्त आराजी वन फोरेस्ट तीखी के नाम से आरक्षित करीब 139 हैक्टैयर भूमि में स्थित है। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। उसके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि को सभी ग्रामवासियान ने जरिये श्रमदान पत्थर की दिवार चुनकर ग्राम वन के रूप में आरक्षित की । उक्त ग्राम वन सन् 1990 से आज तक ग्रामवासियान के आधिपत्य में चला आ रहा है। जिससे सघन वन विकसित होकर ग्राम जावदा के मवेशी चरते हैं और सुखी लकडी ग्रामवासियान प्राप्त करते है। उक्त सम्पूर्ण गांव में कोई कृषि भूमि नहीं है तथा पत्थरीली व वन सम्पदा से भरपूर है कृषि कार्य किया जाना सभव नहीं है। विवादित आराजी के चारों तरफ वन विभाग की ही भूमि है। अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर खनन करने की नियत रखते हैं। प्रकरण में 14 (4) का प्रार्थना पत्र समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया , अपितु व्यक्ति विशेष द्वारा नाम से किया गया है। अतः समिति के पंजीयन बाबत स्टेटस प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट में भी वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त नहीं होना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलाण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर डी 2005 पेज 21 एवं आर आर डी 2009 पेज 103 की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वाराश प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी को ग्राम मानपुरा तहसील बिजौलिया के आराजी नम्बर 662/52 व 712/52 का कुल रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत नियत शर्तो पर किया गया है। जबकि आवेदन मात्र 5 बीघा हेतु ही किया गया था। शेष 5 बीघाभूमि किस प्रकार अपीलार्थी के खाते में गैर खातेदारी हक से अंकित हुई, यह अपीलार्थी द्वाराअपील में भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलाण्ट ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। उक्त तथ्य की पुष्टि तहसीलदार को मौका रिपोर्ट से होती है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन के बारे में ग्रामवासियों का सार्वजनिक विरोध है। आवंटी का मौके पर कब्जा भी नहीं है। आवंटी ने आवंटित भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना में काश्त की हो इस बाबत कोई जिन्स गिरदावरी भी उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि ग्राम्य वन खण्ड पेडोक्स में आवंटन सुदा भूमि में सम्मिलित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2013 एवं संशोधन दिनांक 24.12.2013 को यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 6.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

6/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा